

1. अपील सूचना का अधिकार संख्या 47/2022 (GCMS 2022/177)(आईटीआई पोर्टल नं. 212928425213886) राजेश कुमार पुत्र प्रयागचन्द पारीक जाति ब्राह्मण साकिन वार्ड नं. 13, रावतसर जिला हनुमानगढ बनाम उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ
2. अपील सूचना का अधिकार संख्या 53/2022 (GCMS 2022/193)(आईटीआई पोर्टल नं. 212479183890266) राजेश कुमार पुत्र प्रयागचन्द पारीक जाति ब्राह्मण साकिन वार्ड नं. 13, रावतसर जिला हनुमानगढ बनाम उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ
3. अपील सूचना का अधिकार संख्या 57/2022 (GCMS 2022/207)(आईटीआई पोर्टल नं. 212185707343550) राजेश कुमार पुत्र प्रयागचन्द पारीक जाति ब्राह्मण साकिन वार्ड नं. 13, रावतसर जिला हनुमानगढ बनाम उपखण्ड अधिकारी, उपअभिलेखागार एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ



21.09.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राजेश कुमार स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी राजेश कुमार ने अपील संख्या 47/2022 में तहसीलदार, हनुमानगढ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाही थी किन्तु तहसीलदार, हनुमानगढ ने अपने पत्रांक सूअ. /22/ 1076 दिनांक 08.02.2022 से अपीलार्थी को सूचित किया गया, उनके द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है इसलिए सूचना की प्रमाणित प्रति विभाग कोलोनाईजेशन, बीकानेर से प्राप्त करें। इस पर अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी, कॉलोनाईजेशन विभाग, बीकानेर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 11.02.2022 पेश कर सूचना चाही थी, किन्तु लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर ने अपने पत्रांक प-4(ए)( )लो.सू./उप/47/22/ दिनांक 22.02.2022 लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर हनुमानगढ को अन्तरित किया गया तथा प्रार्थी को सूचित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ ने अपने पत्रांक 462 दिनांक 30.05.2022 जो लोक सूचना अधिकारी

जिला कलेक्टर  
श्रीगंगाभगर

एवं अपर जिला कलेक्टर, हनुमागढ को लिखा गया है में अंकित किया गया है कि अपेक्षित रिकॉर्ड उनके कार्यालय में उपलब्ध न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को जरिये पत्रांक 224 दिनांक 24.03.2022 को अंतरित कर दिया गया था किन्तु प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने भी अपीलार्थी को सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ से जवाब तलब करने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैंने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपील संख्या 47/2022 में अपने आवेदन पत्र के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ से निम्न सूचना चाही थी:

संलग्न पत्र क्रमांक सु.अ./22/1076 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल हनुमानगढ वक 26 आरपी नौरंगदेसर वर्तमान 7 आरपीबी तहसील हनुमानगढ माफी मन्दिर का नामान्तर एक आदेश एरीसी, हनुमानगढ के 24.01.1974 के आदेश से हुआ। आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि देवे। नामान्तर आदेश की पत्रावली कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) अधिकारी एवं मनिस्टेट ने कोलोनाईजेशन विभाग, बीकानेर से सम्बन्धित बताई है। पत्र संलग्न है। शीघ्र पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि देवे।

इसीप्रकार अपीलार्थी ने अपील संख्या 53/2022 एवं अपील संख्या 57/2022 के आवेदन पत्र के द्वारा उपखण्ड अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी :

जिला कलेक्टर  
श्रीगंगानगर

**अपील संख्या 53/2022**

संलग्न पत्र क्रमांक सूआ/2022/224/23.03.2022 कार्यालय लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ के अनुसार चक 26 आरपी नौरंगदेशर वर्तमान 7 आरपीबी तहसील हनुमानगढ माफी मन्दिर का नामान्तर आदेश पत्रावली का रिकॉर्ड आपके कार्यालय/अभिलेखागार में उपलब्ध होना बताया है। मान्यवर शीघ्र नामान्तरण पत्रावली की प्रमाणित प्रति देने का कष्ट करें।

**अपील संख्या 57/2022**

पूर्व क्लोनाईजेरान सूरतगढ के अन्तर्गत राजस्व मंडल हनुमानगढ चक 26 आरपी नौरंगदेशर वर्तमान 7 आरपी"बी" तहसील हनुमानगढ माफी मन्दिर नामान्तरण पत्रावली आपके विभाग द्वारा प्रार्थी ने चाही थी परंतु आपके कार्यालय प्रपत्र क्रमांक रिकॉर्ड/2022/158 दिनांक 21.06.2022 के में इस संबंध में अनवान्,प्रकरण की आवंटन श्रेणी, प्रकरण संख्या, मिसल नंबर मांगी गई है, मान्यवर यह आपकी विभागीय जानकारी है। मान्यवर प्रार्थी को अतिशीघ्र अनवान्, प्रकरण की आवंटन श्रेणी, प्रकरण संख्या, मिसल नम्बर की प्रमाणिक जानकारी देवें अगर आपके पास नहीं है तो संबंधित विभाग को आप ही सूचित करने का कष्ट करें।

प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने अपने पत्रांक रिकॉर्ड रुम/आरटीआई/20222183 दिनांक 08.08.2022 से अपील संख्या 47/2022 का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

उक्त विषयान्तर्गत अपील लोक सूचना अधिकारी अधि.सं. 47/2022 राजेश कुमार बनाम उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ का बिन्दुवार जवाब निम्नानुसार सादर प्रेषित है :

1. यह कि बिन्दु संख्या 1 में प्रार्थी राजेश कुमार द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना अधिकारी कोलोनाईजेशन विभाग, बीकानेर को आवेदन प्रस्तुत करने आदि तथ्य रिकॉर्ड एवं प्रार्थी से सम्बन्धित है।
2. यह कि बिन्दु संख्या 2 से प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ को आवेदन प्रस्तुत करने पर उक्त आवेदन लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ के पत्रांक सू.आ./2022/224 दिनांक 24.03.2022 से अंतरित होकर इस कार्यालय में प्राप्त होना स्वीकार है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना का अधिकार अधिनियम प्रार्थना पत्र दिनांक 11.02.2022 में वांछित रिकॉर्ड से सम्बन्धित आवश्यक जानकारियां यथा अनवान्, प्रकरण की आवंटन श्रेणी, प्रकरण संख्या/मिसल नं. आदि अंकित नहीं हाने के कारण प्रार्थी से इस कार्यालय के पत्रांक 158-160 दिनांक 21.06.2022 द्वारा उक्त अपेक्षित जानकारियां/विशिष्टियां चाही गई थी। जिस पर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 11.07.2022 प्रस्तुत किया गया लेकिन रिकॉर्ड तलाश हेतु अपेक्षित जानकारियां /विशिष्टियां उपलब्ध नहीं कराई गई। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध कराये गये विवरण/दस्तावेजों के आधार पर मिसल/पत्रावली की गहनतापूर्वक तलाश की गई लेकिन बाद तलाश उक्त पत्रावली रिकॉर्ड रुम/अभिलेखागार में नहीं पाई गई। जिस पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना का अधिकार अधिनियम प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया गया। इसकी सूचना प्रार्थी को कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/22/170 दिनांक 20.07.2022 द्वारा दी गई है।
3. यह कि प्रत्युत्तर उक्त बिन्दु सं. 2 अनुसार है।

सूचना का अधिकार अधिनियम प्रकरण संख्या 43/2022, 53/2022 एवं 57/2022

4. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित अवधि में कार्यवाही करते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया है। प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण/दस्तावेजों के आधार पर तलाश करने पर अपेक्षित रिकॉर्ड अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जिसकी सूचना प्रार्थी को विधिवत् रूप से इस कार्यालय के पत्रांक 170 दिनांक 20.07.2022 द्वारा दी गई है। इस प्रकार अपील अपीलार्थी खारिज योग्य हैं

अतः उक्तानुसार अपीलोत्तर प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, विशिष्टियों के अभाव में वांछित रिकॉर्ड/सूचना अभिलेखागार में बाद तलाश उपलब्ध नहीं होने से नियमानुसार निर्धारित अवधि में निस्तारित किया गया है। इसलिए अपील, अपीलार्थी खारिज फरमावें।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार।

-sd-

उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ (राज.)

प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने अपने पत्रांक रिकॉर्डरूम/आरटीआई/2022/213 दिनांक 12.09.222 से निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

उक्त विषयान्तर्गत अपील लोक सूचना अधि. सं. 57/2022 राजेश कुमार बनाम उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ का जवाब निम्नानुसार सादर प्रेषित है:

1. यह कि जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत श्रीमान्जी के समक्ष दायर अपील संख्या 47/2022, 53/2022 एवं हस्तगत अपील संख्या 57/2022 एक ही विषय एवं एक ही विषयक वांछित रिकॉर्ड/सूचना से संबंधित व संदर्भित होने के कारण उक्त दोनों प्रकरणों को क्लब कर निस्तारण किया जावे। अपील

सूचना का अधिकार अधिनियम प्रकरण संख्या 43/2022, 53/2022 एवं 57/2022

संख्या 47/2022 अनवान् राजेश कुमार बनाम उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ (ता.पेशी10.08.2022) का जवाब इस कार्यालय के पत्रांक 183 दिनांक 8.8.2022 अदालतवाला में प्रस्तुत किया जा चुका है।

2. यह कि प्रार्थी श्री राजेश कुमार द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 7.7.2022 (इस कार्यालय में प्राप्त दिनांक 11.07.2022) में वर्णित जानकारी एवं संलग्न परचा खतौनी के आधार पर सुखदेव सिंह पुत्र भैराराम जाति ब्राह्मण नि. रणजीपुरा की पत्रावली की गहनता पूर्वक तलाश किये जाने पर बाद तलाश अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं पाये जाने पर इस कार्यालय के पत्रांक 170 दिनांक 20.07.2022 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जिसकी सूचना प्रार्थी को इस कार्यालय के उक्त पत्र दिनांक 20.07.2022 से विधिवत् रूप से दी गई है।
3. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार एवं निर्धारित अवधि में कार्यवाही करते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया है। प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण/दस्तावेजों के आधार पर तलाश करने पर अपेक्षित रिकॉर्ड अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जिसकी सूचना प्रार्थी को विधिवत् रूप से इस कार्यालय के पत्रांक 170 दिनांक 20.07.2022 द्वारा दी गई है। इस प्रकार अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है।

प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, विशिष्टियों के अभाव में वांछित रिकॉर्ड/सूचना अभिलेखागार में बाद तलाश उपलब्ध नहीं होने से नियमानुसार निर्धारित अवधि में निस्तारित किया गया है।

अतः अपीलोत्तर प्रस्तुत कर निवेदन है कि हस्तगत अपील, प्रार्थी द्वारा दायर अपील संख्या 47/2022 एवं 53/2022 को

सूचना का अधिकार अधिनियम प्रकरण संख्या 43/2022, 53/2022 एवं 57/2022

एक ही सूचना/दस्तावेज व विषय से सम्बन्धित होने के कारण क्लब करते हुए, प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के आधार पर बाद तलब अभिलेखागार में रिकॉर्ड /सूचना उपलब्ध नहीं होने एवं इस कार्यालय द्वारा अपेक्षित विशिष्टियां, प्रार्थी द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण खारिज फरमावें।

-sd-

प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार  
एवं उप जिला कलैक्टर  
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने अपने पत्रांक आरटीआई/22/170 दिनांक 20.07.2022 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है:

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित जानकारी एवं संलग्न परचाखतैनी के आधार पर सुखदेव पुत्र भैराराम जाति ब्राह्मण निवासी रणजीतपुरा की पत्रावली को गहनता पूर्वक तलाश गया, लेकिन रिकॉर्ड रूम में बाद तलाश उक्त पत्रावली नहीं पायी गई है। जिसके अभाव में प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना संभव नहीं है। अतः आपका सूचना का अधिकार प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। यदि आप दी गई जानकारी से सन्तुष्ट नहीं है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी, श्रीमान् जिला कलक्टर, महोदय, श्रीगंगानगर को निर्धारित अविध में आवेदन कर राहत प्राप्त कर सकते है।

-sd-

(कपिल कुमार यादव)  
प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार  
एवं उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ

चूंकि प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ द्वारा अपीलार्थी को अपने पत्र दिनांक 20.07.2022 से उक्तानुसार जवाब दिया

जा चुका है और पत्र दिनांक 213 दिनांक 12.09.2022 के अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 47/2022, 53/2022 एवं 57/2022 में चाही गई सूचना एक ही विषय एवं एक ही रिकॉर्ड/सूचना से संबंधित है इसलिए उक्त तीनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात् दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है, जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात् विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते हैं और न ही वे स्वयं का मत दे सकते हैं। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नहीं है, इसलिए प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया गया है, वह सही है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को निर्देशित किया जाता है वे अपीलार्थी से

सूचना का अधिकार अधिनियम प्रकरण संख्या 43/2022, 53/2022 एवं 57/2022

पुनः प्रकरण से सम्बन्धित जानकारी लेकर, पुनः पत्रावली तलाश करवाने का प्रयास करें, यदि तलाश करने पर पत्रावली उपलब्ध हो जाती है तो अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील निस्तारित की जाती है आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तुरन्त तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुकमणि रियार सिहाग)

जिला कलेक्टर  
श्रीगंगानगर